

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./QA/2020/5975
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28.03.2020


समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश

विषय :- औद्योगिक संस्था/अन्य संस्था हेतु संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल।

उपरोक्त विषय में लेख है कि COVID-19 के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन के दौरान संचालित होने वाली औद्योगिक/संस्था में संक्रमण नियंत्रण हेतु निम्नानुसार प्रोटोकॉल का पालन कराया जाना है :-

संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल

- औद्योगिक संस्था अथवा ऑफिस में प्रथम प्रवेश के समय खांसी, जुकाम के लक्षण तथा 15 फरवरी के बाद प्रदेश या देश के बाहर की यात्रा की हो, ऐसे कर्मचारी को संस्था में प्रवेश न देवे। ऐसे कर्मचारियों को 14 दिवस तक घर में रहने एवं निम्नलिखित निर्देशों का पालन हेतु सलाह दे :-
 - व्यक्ति एक अलग कमरे में रहे जो हवादार तथा स्वच्छ हो।
 - व्यक्ति 28 दिवस तक घर पर रहे एवं व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के संबंध में जागरूक रहे।
 - खांसते व छींकते समय रुमाल का उपयोग करें।
 - नियमित रूप से हाथ धोएं और ऐसे प्रयोग किये कपड़ों/रुमाल/गमछा इत्यादि को साबुन/डिटर्जेंट से धोयें।
 - अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लेते रहे।
 - लक्षण उत्पन्न होने पर मैदानी कर्मी तत्काल फोन पर जिला नोडल अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला सर्वेलेन्स अधिकारी को सूचित करें।
- स्वास्थ्य/लक्षण रहित कर्मचारियों को प्रथम प्रवेश द्वार पर इन्फारेड थर्मल थर्मामीटर से तापमान चेक करे। सामान्य तापमान (37 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.6 डिग्री फेरेनहाइट) होने पर प्रवेश दें। प्रवेश पूर्व से एल्कोहल युक्त हैंड सेनिटाईजर से हाथ साफ करवाना सुनिश्चित करें अथवा साबुन से हाथ धोयें।
- कार्यालय/संस्था की प्रवेश द्वार पर प्रत्येक 02 घंटे में 1 प्रतिशत हाईपोक्लोराईट से पोछा लगवायें।
- कार्यस्थल पर उपस्थित प्रत्येक कर्मचारियों को बार बार साबुन से 20 सेकण्ड तक हाथ धुलाई का परामर्श दें।
- समस्त कर्मचारियों आपस में 1 मीटर की दूरी बनायें रखे तथा छींकते-खांसते समय मुंह को रुमाल/टीशू/गमछा आदि से ढांके।
- कार्यालय/संस्थाओं के सतहों जैसे दरवाजे के हैंडल, टेबल टॉप, सीढियों की रैलिंग, लिफ्ट के बटन, दरवाजे, कुर्सी आदि 1 प्रतिशत हाईपोक्लोराईट से बार बार साफ करें।



(श्री प्रतीक हजेला)

आयुक्त, स्वास्थ्य

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28.03.2020

पृ. क्रमांक/एन.एच.एम./QA/2020/5976
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. लो. स्वा. एवं परि. कल्याण मन्त्रालय बल्लभ भवन भोपाल मध्यप्रदेश।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल मध्यप्रदेश।
3. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।



आयुक्त, स्वास्थ्य

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें भोपाल म.प्र.